संख्या:25/2026/293बु0वि0नि0/35-4-2026/35-1099/8/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ। दिनांक:30 मार्च, 2026

विषय:वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्धमें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–74/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2025-26 दिनांक 20.01.2026, पत्र संख्या–80/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2025-26 दिनांक 28.01.2026, पत्र संख्या–99/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2025-26 दिनांक 20.02.2026, पत्र संख्या–100/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2025-26 दिनांक 20.02.2026, पत्र संख्या–111/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2025-26 दिनांक 11.03.2026 एवं पत्र संख्या–121/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2025-26 दिनांक 13.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गतजनपद-झांसी में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू 4200.52 लाख (रूपए बयालीस करोड़ बावन हज़ारमात्र, जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू 2017.00 लाख (रुपये बीस करोड़ सत्रह लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिए तालिका मे परियोजना के सम्मुख इंगित कार्यदायी संस्था को उस परियोजना की कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है:-

(लाख रू. में)

क्र स	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (मी.)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**	**कार्यदायी संस्था**
1	विकास खण्ड बामौर ग्राम पंचायत सरसैड़ा में हाट पैड मैदान से खैरापति मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य	1200	73.34	35.00	लो0नि0वि0
2	विकास खण्ड बामौर ग्राम पंचायत बैदा में बैदा से ठाकुर बाबा मंदिर तक सड़क का नव निर्माण कार्य	2000	118.63	57.00	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3	विकास खण्ड बामौर में ग्राम पंचायत सगौली में प्रताप नायक के खेत से हरदुआ रोड तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1600	200.54	96.00	लो0नि0वि0
4	ब्लॉक चिरगांव के ग्राम बमनुआं में हनुमान जी के मंदिर से वीरेन्द्र कुमार बिरथरे के मकान तक 500 मी० एपेक्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	500	30.83	15.00	ग्रा0अभि0वि0
5	ब्लॉक बड़ागांव के ग्राम शंकरगढ़ में जू०हा० से झॉसी-खजुराहो एक्सप्रेस वे तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	425	19.68	9.00	ग्रा0अभि0वि0
6	ब्लॉक बबीना के बबीना ग्रामीण में सिक्ख सामुदायिक भवन का निर्माण खसरा सं० 2326	0	45.03	22.00	ग्रा0अभि0वि0
7	ब्लॉक बबीना के बबीना ग्रामीण में नामदेव समाज के लिये सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	0	45.34	22.00	ग्रा0अभि0वि0
8	ब्लॉक बबीना के बबीना ग्रामीण में सामुदायिक भवन आराजी सं0 2541 मे।	0	45.34	22.00	ग्रा0अभि0वि0
9	ब्लॉक बबीना के ग्राम पंलीदा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	0	175.81	84.00	लो0नि0वि0
10	ब्लॉक चिरगाँव के चिरगाँव देहात में औपारा रोड़ पानी की टंकी के पास आराजी सं. 2873 में कुशवाहा समाज के लिये सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	0	164.59	79.00	लो0नि0वि0
11	ब्लॉक बबीना के ग्राम बघौरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	0	53.73	26.00	ग्रा0अभि0वि0
12	पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज पिपरा जनपद झाँसी में मुख्य सड़क से विद्यालय भवन तक सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य।	110	13.45	6.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

13	वि0ख0 चिरगांव ग्राम पंचायत मिरौना में पुराना पेट्रोल पम्प श्री नारायण कुशवाहा के मकान से हाईवे रोड़ शुभकामना ढाबा तक रोड़ का नवनिर्माण कार्य।	750	81.24	39.00	लो0नि0वि0
14	ग्राम पंचायत विजयगढ़ विकास खण्ड बंगरा जनपद झाँसी में मजरा के मेन रोड से श्री मलखान ढीमर के मकान के आगे तक सी०सी० रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	1000	93.98	45.00	लो0नि0वि0
15	झाँसी कानपुर रोंड़ पूँछ जनपद झाँसी में मायानंद इण्टर कॉलेज के बगल से चन्दन सिंह यादव के फार्म हाउस तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	250	14.66	7.00	ग्रा0अभि0वि0
16	ग्राम विजना तहसील टहरौली जनपद झाँसी में मुख्य सी०सी० मार्ग से श्री हरप्रसाद कुशवाहा पुत्र श्री मलूक कुशवाहा के मकान तक सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य।	400	48.02	23.00	ग्रा0अभि0वि0
17	विकास खण्ड़ चिरगांव ग्राम पंचायत मुड़ेई में श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री तुलसी कुशवाहा के मकान से तलावाले ठाकुर बाबा (देव स्थान) तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1000	59.68	29.00	लो0नि0वि0
18	ग्राम पंचायत अक्सव तहसील मऊरानीपुर जनपद झाँसी में माता मंदिर से माना आदिवासी के मकान तक सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य।	300	22.91	11.00	ग्रा0अभि0वि0
19	विकास खण्ड़ चिरगांव के ग्राम पंचायत उजयान की पुलिया से श्री गंगाराम पटेल के मकान होते हुए म०प्र० की सीमा तक सडक का नवनिर्माण कार्य।	2100	146.94	71.00	लो0नि0वि0
20	ग्राम पंचायत जौरी बुजुर्ग ब्लॉक बडागांव जनपद झाँसी मे सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।		51.25	25.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

21	ग्राम बुढिया ब्लॉक बगरा में सामुदायिक भवन / विवाह घर का निर्माण कार्य।		158.09	76.00	ग्रा0अभि0वि0
22	ग्राम खिसनीखुर्द ब्लॉक बंगरा में सामुदायिक भवन / विवाह घर का निर्माण कार्य।		158.09	76.00	ग्रा0अभि0वि0
23	ग्राम घाटकोटरा ब्लॉक मऊरानीपुर में सामुदायिक भवन / विवाह घर का निर्माण कार्य।		158.09	76.00	ग्रा0अभि0वि0
24	ग्राम कुरैचा ब्लॉक बंगरा में सामुदायिक भवन / विवाह घर का निर्माण कार्य।		158.09	76.00	ग्रा0अभि0वि0
25	वार्ड नं0 01 हंसारी में मुख्य मार्ग से कवेन्द्र चौधरी के मकान से प्राथमिक विद्यालय की ओर सड़क व नाली निर्माण।	620	82.55	40.00	लो0नि0वि0
26	वार्ड नं0 01, हंसारी में प्राथमिक विद्यालय से नगर निगम विवाह घर के आगे कोमल प्रजापति कुम्हारटोली की ओर सड़क व नाली निर्माण।	900	134.34	64.00	लो0नि0वि0
27	वार्ड नं0 05, दीनदयाल कुशवाहा के मकान होते हुए श्री याकूब के मकान से अर्जुन के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण।	670	50.53	24.00	ग्रा0अभि0वि0
28	वार्ड नं0 09, हंसारी में श्री संतलाल कोरी के मकान से श्री बिहारी यादव के मकान तक व श्री टिंकू राय के मकान से श्री सुमित राय व श्री धर्मेन्द्र सोनी व सेंगर जी श्री नरेश भारती, श्री जगदीश के मकान से श्री रामकिशोर ठेकेदार के मकान तक सड़क व नाली निर्माण।	150	23.42	11.00	लो0नि0वि0
29	वार्ड नं0 21, पाल कालौनी श्रीमती गायत्री देवी के मकान से होते हुए श्री जगभान ठाकुर श्रीमती नीता अवस्थी के मकान व श्री पुष्पेन्द्र कुमार के मकान श्री वीरेन्द्र राजपूत के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण	350	51.04	24.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

30	बार्ड नं0 15 गढ़ियागाँव में इम्तियाज हुसैन की पुलिया से श्री बलवान राजपूत के मकान की ओर सड़क व नाली निर्माण।	570	120.36	58.00	लो0नि0वि0
31	वार्ड नं0 22 बिजौली में श्री हृदेश खटीक के मकान से श्री सुनील सेन के मकान तक सड़क व नाली निर्माण।	650	68.63	33.00	लो0नि0वि0
32	वार्ड नं0 21 पाल कॉलौनी, रेलवे क्रॉसिंग के आगे श्री धीरेन्द्र यादव के मकान से पटेल के मकान होते हुए खातीबाबा मंदिर की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य	700	59.67	29.00	ग्रा0अभि0वि0
33	ब्लाक बंगरा ग्राम भिटौरा में लुहरगांव रोड पर टीकाराम अहिरवार के मकान से घुघसी नदी की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	655	94.48	45.00	लो0नि0वि0
34	ब्लाक मोठ में ग्राम टहरौली में जितेन्द्र के मकान से रोहित पण्डा की दुकान की ओर सी०सी मार्ग का निर्माण कार्य।	120	10.38	5.00	लो0नि0वि0
35	विकास खण्ड गुरसरांय के ग्राम एवनी में पुंछी मैन रोड पर डॉ शीतल के मकान से होते हुये अधाई राखे आगे की ओर सी०सी० सडक का नव निर्माण कार्य।	550	67.08	32.00	लो0नि0वि0
36	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम सौराई में समधर पाण्डौरी से झाडी बाबा ओर पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	1000	78.6	38.00	लो0नि0वि0
37	विकास खण्ड बामौर में ग्राम झबरा में कबूतरों का डेरा तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	400	12.66	6.00	लो0नि0वि0
38	विकास खण्ड बामौर के ग्राम सिया में उदयभान के खेत से मैन रोड तक सी०सी० रोड का निर्माण।	500	42.22	20.00	लो0नि0वि0
39	ब्लॉक मोंठ के बरनाया बजीता मोंड से खिरिया मध्य प्रदेश की सीमा तक सडक का नव नर्माण कार्य।	550	35.81	17.00	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

40	विकास खण्ड बामौर में ग्राम सैगुवां-परसुआ से सिया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4500	354.19	170.00	लो0नि0वि0
41	विकास खण्ड गुरसरांय ग्राम मोतीकटरा में सामुदायिक भवन/विवाह घर निर्माण कार्य।	0	180.87	87.00	लो0नि0वि0
42	विकास खण्ड बंगरा की ग्राम पठाकरका में बंगरा उल्दन मुख्य मार्ग पर जगदीश कोरी के मकान से कछियाना खिरक की ओर सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	600	57.96	28.00	ग्रा0अभि0वि0
43	वार्ड नं0 13 बूढा नहर पटरी रोड से शंकर लाल के मकान से कानपुर ग्वालियर वाईपास तक सीसी संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	800	91.29	44.00	ग्रा0अभि0वि0
44	ब्लॉक बबीना के ग्राम पलींदा मेन रोड के रिपटा से पंचायत भवन की ओर तक सडक व नाली निर्माण कार्य।	250	42.13	20.00	लो0नि0वि0
45	ब्लॉक बबीना के ग्राम खैलार में प्राचीन मंदिर गुढा सरकार की ओर जाने वाली नहर पटरी पर सड़क का नव निर्माण कार्य।	1800	96.43	46.00	ग्रा0अभि0वि0
46	ब्लॉक बबीना के ग्राम खैलार में प्राचीन मंदिर गुढा सरकार की ओर जाने वाली नहर के दोनों तरफ सड़क सुरक्षात्मक कार्य।	1800	132.43	64.00	ग्रा0अभि0वि0
47	वार्ड नं0 13 बूढा नहर रोड से भानी देवी गोयल विद्यालय की ओर आर.सी.सी. नाले का निर्माण कार्य।	1300	176.10	85.00	ग्रा0अभि0वि0
	कुल योग	**31070**	**4200.52**	**2017.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारितव्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों मेंवास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं काअनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्यादृ1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्तमूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुएजनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविकलागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागतमें कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गतराजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जा ।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक- 7, 18 एवं 33 पर अंकित कार्यों पर आने वाले व्यय रु 78.00 (रु अठहत्तर लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान सं0-83 के बजट लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-24 वृहद निर्माण तथा शेष कार्यों पर आने वाले व्यय रु 1939.00 (रुपये उन्नीस करोड़ उनतालीस लाख मात्र) को अनुदान संख्या-40 के बजट लेखाशीर्षक- 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माणकार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:25/2026/293बु0वि0नि0(1)/35-4-2026/35-1099/8/2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7- मण्डलायुक्त, झांसीमण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झांसी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।